# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

## अपील संख्या–902, 903, 904 व 905/2018/जयपुर

....अपीलार्थी

....प्रत्यर्थीगण

मै. विमल किराना स्टोर, शॉप नं. 13, रामा मार्केट, खातीपुरा रोड, जयपुर बनाम 1. सहायक आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, वृत प्रथम, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी, अपील्स प्रथम,

वाणिज्यिक कर, जयपुर

<u>खण्डपीठ</u> श्री राजीव चौधरी, सदस्य श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थितः ः श्री रमेश गुप्ता अभिभाषक

> एन.के.बैद उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थीगण की ओर से निर्णय दिनांक : 30.08.2018

### निर्णय

1. ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी--प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित संयुक्त आदेश दिनांक 17.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-आई, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 18(3), 25, 55, 60 व 61 के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2017 को पारित पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत करने पर अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए आईटीसी रिवर्स किये जाने, संग्रहित कर राशि को जब्द करना एवं तदनुसार ब्याज आरोपित करना यथावत रखा है तथा शास्तियाँ अपास्त की है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

1	2	3	3	4	5	6	7
अपील सं.	प्रथम अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या व निर्णय दिनांक	लेखा वर्ष	ITC Disallow & Tax Worngly Collected is forfeited	ब्याज	शास्ति धारा 60(2)	शास्ति धारा 61(2)(b)	कुल योग
902 / 2018	54 / अ.प्रा.—। / आरवेट / जयपुर / 2017—18 / 17.04.2018	2011-12	6,06,150	4,00,059	12,12,300	10,84,300	33,02,809
903 / 2018	55/अ.प्रा.—।/आरवेट/जयपुर/ 2017—18 / 17.04.2018	2012-13	1,48,331	62,299	2,96,662	3,39,750	8,47,042
904 / 2018	56/अ.प्रा.—।/आरवेट/जयपुर/ 2017—18 / 17.04.2018	2013-14	13,76,760	7,43,450	27,53,520	27,00,412	75,74,142
905 / 2018	57 / अ.प्रा.—। / आरवेट / जयपुर / 2017—18 / 17.04.2018	2014-15	71,643	21,493	1,43,286	1,30,950	3,67,372

 प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसायी स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.08.2016 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। सर्वेक्षण एवं अनुवर्ती जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा २००-

# -: 2 :- अपील संख्या-902, 903, 904 व 905/2018/जयपुर

'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' का खरीद–विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वस्तुओं की विक्रय पर वेट वसूल किया गया है तथा आउटपुट वैट में से, खरीद पर चुकाये गये वेट का आईटीसी का लाभ लिया गया है जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2734 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' पर कर देयता First Point in the series of sales पर निर्धारित की गयी है। अपीलार्थी विक्रय की श्रेणी में प्रथम बिन्दु से बाद का विक्रेता है, इसलिए उसके द्वारा कर संग्रहण नहीं किया जा सकता। साथ ही धारा 18(3)(।।ए) के अनुसार अपीलार्थी को First Point in the series of sales पर चुकाये गये वैट का आईटीसी का लाभ देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' की बिक्री पर वसूल की गयी कर राशि को जब्त (Forfiet) करने, Avail किये गये आईटीसी को रिवर्स करने तथा ब्याज एवं धारा 602 व 61 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। प्रकरण निर्णयार्थ कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कराये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभियोजन अधिकारी के निष्कर्षानुसार 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' की बिक्री पर अपीलार्थी द्वारा वसूल की गयी कर राशि को जब्त (Forfiet) करने, Avail किये आईटीसी को रिवर्स करने तथा ब्याज एवं धारा 60 व 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुये अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत पदार्थो के विक्रय पर उक्त तालिकानुसार आईटीसी अस्वीकार करते हुए विधिविरूद्ध एकत्रित किये गए टैक्स को जब्त करते हुए तद्नुसार ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए आईटीसी रिवर्स किये जाने, संग्रहित कर राशि को जब्त करना एवं तद्नुसार ब्याज आरोपित करना यथावत रखा है तथा शास्तियाँ अपास्त की है जिसके विरूद्व अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण 3. इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पथक–पथक रखी जा रही है।

विचाराधीन अपीलें एडमिशन स्तर पर है। विद्धान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन 4. है कि प्रकरणों में विधिक बिन्दु निहित है तथा तथ्यों के संबंध में कोई विवादित बिन्दु नहीं है। अतः अपीलें ग्रहण की जाकर प्रकरणों में अंतिम बहस सुनते हुए इसी स्तर पर अपीलों का अंतिम निस्तारण किया जावे। विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः उभय पक्ष की सहमति से प्रकरणों में विवादित बिन्दु निहित होने के कारण श्रवणार्थ ग्रहण योग्य पायी जाने के कारण ग्रहण की जाकर अंतिम निस्तारण हेतु बहस उभयपक्ष सुनी गई।

लगातार......3

रण हेतु बहस ७७७५००० छ बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। जिल्लामा 5.

200

### -: 3 :- अपील संख्या-902, 903, 904 व 905/2018/जयपुर

6 विद्धान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा समस्त खरीद बिक्री को बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित किया जा रहा था तथा नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त लेखा अवधियों का कर निर्धारण निष्पादित किया जा चुका था व केवल मत परिवर्तन के कारण मांग राशि कायम की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' की खरीद की जाती है। कुछ व्यवहारियों द्वारा कर राशि बिल में पृथक से वसूल की जाती है और कुछ के द्वारा एक बारगी कर के रूप में कर राशि बिलों में अंकित की गयी है, उस माल के विक्रय पर जारी किये गये बिलों में अपीलार्थी द्वारा कर राशि पृथक से अंकित की गयी है और खरीद पर चुकाये गये कर राशि का आईटीसी क्लेम किया गया है। आईटीसी के समायोजन के पश्चात शेष देय कर राशि अपीलार्थी के द्वारा राजकोष में जमा करायी गयी है। इस प्रकार 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' पर वसूल की गयी समस्त कर राशि राजकोष में जमा करायी जा चुकी है। इसलिए अपीलाधीन आदेशों में आईटीसी का रिवर्स किया जाना और 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' पर वसूल की कर राशि को जब्दा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने यह भी कथन किया कि ब्याज का आरोपण भी विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कर देय नहीं था। इन्होंने अपीलें स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

7. विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

 हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :--

9. अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसायी स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.08.2016 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। सर्वेक्षण एवं अनुवर्ती जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' का खरीद–विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वस्तुओं की विक्रय पर वेट वसूल किया गया है तथा आउटपुट वैट में से, खरीद पर चुकाये गये वेट का आईटीसी का लाभ लिया गया है जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2734 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' पर कर देयता First Point in the series of sales पर निर्धारित की गयी है। अपीलार्थी विक्रय की श्रेणी में प्रथम बिन्दु से बाद का विक्रेता है, इसलिए उसके द्वारा कर संग्रहण नहीं किया जा सकता। साथ ही धारा 18(3)(11ए) के अनुसार अपीलार्थी को First Point in the series of sales पर चुकाये गये वैट का आईटीसी का लाभ देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' की बिक्री पर वसूल की गयी कर राशि को जब्द (Forfiet) करने, Avail किये गये आईटीसी को रिवर्स करने तथा ब्याज एवं धारा 60 व 61 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। प्रकरण निर्णयार्थ कर निर्धारण Autor को

2m\_

אונייייין איזוחוס

1

#### -: 4 :- अपील संख्या-902, 903, 904 व 905/2018/जयपुर

स्थानान्तरित कराये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभियोजन अधिकारी के निष्कर्षानुसार 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' की बिक्री पर अपीलार्थी द्वारा वसूल की गयी कर राशि को जब्त (Forfiet) करने, Avail किये आईटीसी को रिवर्स करने तथा ब्याज एवं धारा 60 व 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अर्स्वीकार करते हुये अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत पदार्थी के विक्रय पर उक्त तालिकानुसार आईटीसी अस्वीकार करते हुए विधिविरूद्ध एकत्रित किये गए टैक्स को जब्द करते हुए तदनुसार ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए आईटीसी रिवर्स किये जाने, संग्रहित कर राशि को जब्द करना एवं तदनुसार ब्याज आरोपित करना यथावत रखा है तथा शास्तियाँ अपास्त की है जिसके विरुद्व अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

10. विचाराधीन प्रकरणों में यह निर्विवादित बिन्दु है कि व्यवहारी द्वारा क्रय विक्रय की गई वस्तु तम्बाकू एवं इसके उत्पाद है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2734 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार 'तम्बाकू एवं इसके उत्पादों' पर कर देयता First Point in the series of sales पर निर्धारित की गयी है। यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं के विक्रय पर वैट वसूल किया गया है तथा आउटपुट वैट में से, खरीद कर चुकाये गये वैट का आईटीसी का लाभ लिया गया है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 18 एवं 60 का अवलोकन करना समीचीन है :--

18. Input Tax Credit. -(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

Jun-ulu लगातार......5

200-

- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iia) of goods taxable at first point in the series of sales, from a registered dealer who pays tax at the first point;
   Explanation : - For the purpose of this clause, "frist point in the series of

sales" means the first sale made by a registered dealer in the State; or

- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.
- 60. Forfeiture and penalty for unauthorised collection of tax.-(1) Where any person 
  (a) not being a registered dealer or being a registered dealer not liable to pay tax under this Act, collects any amount by way of tax; or
  - (b) who being a registered dealer, collects any amount by way of tax in excess of the tax payable by him; or
  - (c) who otherwise collects tax in contravention of any of the provisions of this Act, the assessing authority or any other officer, not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner, shall by an order forfeit the amount so collected.
- (2) Where any person or dealer has collected any amount in the manner specified in subsection (1), the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner, may direct such person or dealer to pay, in addition to the amount forfeited under sub-section (1), a penalty equal to double the amount of tax which has been so collected by him.

अधिनियम की धारा 60(सी) के अनुसार यदि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध 11. कर संग्रहण किया जाता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकार एकत्रित किया गया कर जब्त किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 18(3)(IIa) के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रथम बिन्दू पर कर योग्य है व यदि कोई क्रेता ऐसे रजिस्टर्ड डीलर से वस्तु क्रय करता है जिस पर प्रथम बिन्दु पर कर अदा कर दिया है तो ऐसे क्रेता को इनपुट टैक्स देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह पाया है कि व्यवहारी ने 6,06,150 / - रू. का कर एकत्रित किया है जिसमे से 5,42,150 / – रू. की आईटीसी क्लेम की है। कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त अवैध रूप से एकत्रित कर 6,06,150/- रू को जब्त किया है तथा क्लेम की गई आईटीसी राशि रू. 5,42,150 / – को अस्वीकार किया है जो विधिसम्मत है। धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया है, भी विधिसम्मत है क्योंकि एकत्रित कर व्यवहारी के पास जमा रहा है जिसका वह अधिकारी नहीं था। अपीलीय अधिकारी ने अवैध रूप से एकत्रित किये गये कर को जब्त करने, आईटीसी अस्वीकार करने एवं ब्याज आरोपित करने के बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है जिससे इन बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

सदस्य